न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)

पीठासीन अधिकारीः–पवन कुमार (आर.ए.एस.)
वाद संख्याः–170 / 2013

1. चरणदास पुत्र भगतु साकिन 5 जे एम तहसील अनूपगढ जिला श्री गंगानगर **(मृतक)**
1/1 ललिता शर्मा पत्नी स्व. चरणदास
1/2 सुन्दर शर्मा पुत्र स्व. चरणदास
1/3 कृष्ण शर्मा पुत्र स्व. चरणदास
अकवाम ब्राह्मण सकनाऐ 3 एसटीआर तहसील घड़साना
1/4 राधा शर्मा पत्नी अशोक कुमार निवासी गांव भटोली तहसील देहरा
1/5 रमा उर्फ रशमी पत्नी राकेश शर्मा निवासी भनाड तहसील फतेहपुर जिला कांगड़ा
1/6 दर्शना पुत्री स्व. चरणदास जाति ब्राह्मण निवासी 3 एसटीआर तहसील घडसाना

——— **वादी**

बनाम्

1. आशा कुमारी पत्नी रतनचन्द पुत्री भगतु गांव निठोली पोस्ट आफिस नरंगपुर कोठी तहसील दसुआ जिला होशियारपुर (पंजाब) हाल 5 जे.एम. तहसील घडसाना
2. पुष्पा पत्नी बाबूराम पुत्री भगतु गांव सारबा पोस्ट ऑफिस रामगढ़ खिरडी तहसील साबा जिला जम्मू (जम्मू एंड कश्मीर)
3. चंचला देवी पत्नी तीर्थराम पुत्री भगतु गांव उतरी बखाल तहसील कठुआ जिला जम्मू (जम्मू एंड कश्मीर)
4. सलोचना पत्नी जगदीश पुत्री भगतु पोस्ट ऑफिस दीनानगर कोठे जटटा दे तहसील दीनानगर जिला गुरदासपुर (पंजाब)
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व अनूपगढ जिला श्री गंगानगर(राज.)

————**प्रतिवादीगण**

<u>वाद पत्र बाबत् अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम</u>

::निर्णय:: **दिनांक–25 / 08 / 2021**

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादी एवं प्रतिवादी संख्या–1ता4 की माता ब्रह्मी देवी बेवा भगतु के नाम चक 5 जेएम तसहील अनूपगढ़ का मुरब्बा नं.–204 / 35 का किला नम्बर 1ता9 तथा 13ता17, 25 कुल 15 बीघा रकबा बतौर पौंग बांध विस्थापित आवंटन हुआ जिसकी मृत्यु के बाद उनके वारिसान वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या–1ता4 के नाम से इंतकाल हो गया है। नकल जमाबंदी संलग्न वाद–पत्र है। वादी एवं प्रतिवादी संख्या–1ता4 की माता ने अपने जीवनकाल मे अपनी चारों पुत्रियों की शादियां बड़ी घूमधाम के साथ अच्छी जगह कर दी थी तथा उसमें अच्छे रूपये भी खर्च कर दिए थे। वह अपने जीवनकाल मे मुझ वादी के साथ ही रहती थी। वादी ने अपनी मॉ की जब तक वह जिन्दा रही बहुत सेवा चाकरी की थी। जिससे खुश होकर मेरी माता ब्रह्मी देवी ने दिनांक–15.06.1996 को मुझ वादी के नाम से उक्त विवादग्रस्त भूमि [illegible] का 15 बीघा भूमि की एक रजिस्टर्ड वसीयत मुझ वादी के नाम से तह[illegible]न कर दी थी। वादी ने उक्त वसीयत की बात प्रतिवादी संख्या–1ता4 [illegible] धोखा कर तथा छिपा कर एवं वादी की बीमारी [illegible] विवाद ग्रस्त भूमि का इंतकाल मृतक ब्रह्मी देवी के पांचों वारिसों के नाम से कर [illegible] दिया। वादी ने कई बार प्रतिवादी सं.–1ता4 को उक्त भूमि का इंतकाल मुझ वादी के नाम से करवाने को कहा लेकिन वे आजकल–आजकल करती रही। लेकिन दिनांक–12.09.2001 को जब वादी प्रतिवादी संख्या–1ता4 के पास कुछ रिश्तेदारों को लेकर गया तो उन्होंने कुछ भी करने के इंकार कर दिया। बस यही बिनाय मुखास्मत दावा है तथा इसी रोज वादी को वाद कारण प्राप्त हुआ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pawan Kumar
Date: 2021.10.11 12:32:38 IST
Reason: SelfAttested

अतः वाद वादी डिक्री किया जाकर चक 5 जेएम तसहील अनूपगढ़ का मुरब्बा नं.–204/35 का किला नम्बर 1ता9 तथा 13ता17, 25 कुल 15 बीघा रकबा का मालिक मुझ वादी को घोषित किया जावें।

वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण संख्या 1ता4 को तलब किया गया। अधिवक्ता श्री मनोहर लाल ने प्रतिवादी संख्या–1ता4 की तरफ से वकालतनामा पेश कर निवेदन किया कि चक 5 जेएम का मुरब्बा नं.–204/35 के किला नं.–1ता9 वा 13ता17 वा 25 कुल 15 बीघा पौंगबांध विस्थापितों में प्रतिवादीगण व वादी की माता ब्रह्मी देवी पत्नी भगतु के नाम से आवंटन है ब्रह्मीदेवी की मृत्यु प्रतिवादीगण के पास हुई है। प्रतिवादीगण ने ही उनका दाहसंस्कार किया। वादी एवं प्रतिवादी सं.1ता4 जायज वारिस है। प्रतिवादीगण व वादी की माता को वादी ने उसके जीवनकाल मे कभी भी अपने साथ नहीं रखा। प्रतिवादीगण की माता प्रतिवादीगण के पास ही रही। प्रतिवादीगण अपनी माता ब्रह्मीदेवी को लेकर वादी से अलग रही। प्रतिवादीगण ने अपनी माता की उनके जीवनकाल में सेवा चाकरी की। वादी ने अपने पास कभी भी माता को नहीं रखा । वादी अपनी माता से हमेशा लड़ता झगड़ता रहता था। हम प्रतिवादीगण की माता ब्रह्मीदेवी ने अपने जीवन काल मे कभी भी कोई वसीयत वादी के पक्ष मे तहरीर नही करवायी। इसलिए वसीयत दिनांक–15.06.96 फरजी वा कूटरचित है। प्रतिवादीगण की माता ने कोई वसीयत वादी के पक्ष में तहरीर नही की वादी का एक मात्र इरादा वाद में दर्ज कृषि भूमि को हड़पने का है। इसी इरादे से वादी ने दिनांक 15.06.96 को फरजी वा कूटरचित वसीयत तैयार करे अदालतवाला के समक्ष पेश की। इससे पहले भी वादी ने प्रतिवादीगण की माता ब्रह्मीदेवी की एक वसीयत फरजी व कूटरचित तैयार करके हिमाचल प्रदेश में ब्रह्मीदेवी के नाम से कृषि भूमि वाके गांव मोहाल मचोट मोजा अनोह मे एक षडयंत्र के तहत हड़पने के लिए एकफरजी वा कूटरचित वसीयत ब्रहमीदेवी की दिनांक 15.10.96 तैयार करके इंतकाल, इंतकाल सं.–88 दिनांक–11.06.97 को अपने नाम से दर्ज करवा लिया। जिसके विरूद्ध प्रतिवादीगण ने एक दावा माननीय सब जज प्रथम वर्ग, ज्वाली जिला कांगडा हिमाचलप्रदेश मे जो वाद सं.–289/98 है दिनांक 23.09.98 को पेश किया जिसका निर्णय माननीय सब जज प्रथम वर्ग, ज्वाली ने अपने निर्णय दिनांक –04.01.99 करके वादीगण/प्रतिवादीगण का वाद डिक्री किया तथा वसीयत दिनांक–15.10.96 को जो वादी ने फरजी व कूटरचित तैयार की है को फरजी वा कूटरचित घोषित करते हुऐ इंतकाल सं.–88 दिनांक–11.06.97 को निरस्त कर दिया। नकल फैसला संलग्न है। इस तरफ से वादी का पूर्व मे चाल चलन का इस बात से पता चलता है कि वादी आदतन फरजी वा कूटरचित दस्तावेजात तैयार करने में माहिर है वादी ने वाद पत्र के संबंध में एक फरजी वा कूटरचित वसीयत दिनांक–15.06.96 को तैयार करे एक षडयंत्र के तहत वाद पत्र में दर्ज कृषि भूमि को हड़पना चाहता है। वसीयत दिनांक–15.06.96 फरजी व कूटरचित है इसलिए हम प्रतिवादीगण के हितों पर आरम्भ से ही प्रभावशून्य है। वादी को वसीयत दिनांक–15.06.96 फरजी वा कूटरचित होने के कारण कानूनी रूप से कोई [illegible] ता है। वाद पत्र में दर्ज कृषि भूमि का तहसीलदार ने ब्रह्मीदेवी के वारिसान [illegible] व प्रतिवादीगण के पक्ष में बहिस्सा बराबर इंतकाल, इंतकाल [illegible] करके दिनांक–25.04.97 को तस्दीक किया है, जो कानूनी [illegible] पंचायत 10 एलएम (लूनियॉ) द्वारा वादी एवं प्रतिवादीगण के पक्ष में वाद पत्र मे द[illegible] कृषि भूमि का इंतकाल आवंटी ब्रह्मीदेवी के जायज वारिसान होने के कारण कानूनी रूप से सही दर्ज करके तस्दीक किया है। ग्राम पंचायत ने राज. भू. राजस्व अधिनियम की पालना करते हुए इंतकाल तस्दीक किया। ग्राम पंचायत द्वारा इंतकाल दर्ज करने से पूर्व सभी पक्षकारों यानि प्रभावित पक्षकार को सुनवाई व सफाई का अवसर दिया है। अगर वादी के पास तथाकथित वसीयत दिनांक

Signature Not Verified
Digitally signed by Pawan Kumar
Date: 2021.10.11 12:32:38 IST
Reason: SelfAttested

15.06.96 उस रोज होती तो ग्राम पंचायत के समक्ष पेश करता जैसे ही ग्राम पंचायत ने वाद पत्र मे दर्ज कृषि भूमि का इंतकाल वादी एवं प्रतिवादीगण के पक्ष में दर्ज करके तस्दीक किया तो वादी के मन मे एक षडयंत्र पैदा हुआ एस षडयंत्र के तहत वाद पत्र में दर्ज कृषि भूमि को हडपने की नियत से एक फरजी वा कूटरचित वसीयत वाद मे पिछली तारीख मे दिनांक 15.06.96 को तैयार की उस फरजी वा कूटरचित वसीयत के आधार पर अदालत के समक्ष वाद पत्र पेश किया वाद पत्र मे ग्राम पंचायत 10 एलएम (लूनियॉ) आवश्यक पक्षकार है। आवश्यक पक्षकार को पक्षकार नही बनाया इसलिए वादवादी काबिल निरस्ती के हैं। प्रतिवादीगण अपने हिस्सा की कृषि भूमि पर आवंटन के रोज से काबिज होकर काश्त करती चली आ रही है। आज रोज भी प्रतिवादीगण का अपने हिस्सा की कृषि भूमि पर कब्जा काश्त है व फसल बिजाई हुई है। वादी कभी भी हम प्रतिवादीगण से नहीं मिला तथा दिनांक 12.09.2000 को भी नही मिला। वादी ने अपने वाद पत्र में कही भी उल्लेख नही किया कि प्रतिवादीगण को कहा मिला और कौनसे रिश्तेदार को साथ लेकर कहां किस समय मिला महज वाद पत्र को एक कहानी देने तथा बिनाय मुखासमत बनाने हेतु दर्ज किया है कोई वाद का कारण वादी को हम प्रतिवादीगण के विरूद्ध प्राप्त नही है इसलिए वाद वादी काबिल निरस्ती के है।

श्रीमती ललीता शर्मा पत्नी स्व.चरणदास, श्री कृष्ण पुत्र स्व़ चरणदास एवं श्रीमती रशमी शर्मा पुत्री स्व. चरणदास ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 3 एवं धारा 151 सीपीसी प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादी चरणदास का देहांत दिनांक 14.02.2015 को हो चुका है अतः मृतक वादी के स्थान पर मृतक वादी के विधिक वारिसान को प्रतिस्थापित किया जावें। न्यायालय के द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 3 एवं धारा 151 सीपीसी को स्वीकार कर मृतक वादी के स्थान पर मृतक वादी के विधिक वारिसान को प्रतिस्थापित किया गया। मृतक वादी के विधिक वारिसान 1/1, 1/3 से 1/5 की ओर से अभिभाषक श्री पुरूषोतम आहुजा उपस्थित हुए।

उभयपक्ष के अभिवचनों के आधार पर निम्न विवाद्यक कायम किए गए–

1. आया कि चक 5 जे.एम के मुरब्बा नं.–204/35 का किला नं.–1ता9, 13ता17 एवं 25 कुल 15 बीधा रकबा का वादी खातेदार कृषक घोषित करवाने का अधिकारी हैं।

–––जिम्मे वादी

2. आया वादी किसी भी तरह कूटरचित व फर्जी वसीयत के आधार पर अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है।

–––जिम्मे प्रतिवादीगण

3. आया वादीधीन भूमि का इंतकाल ग्राम पंचायत 10 एलएम के द्वारा वादी एवं प्रतिवादीगण के पक्ष में तस्दीक किया गया। अतः आवश्यक पक्षकारों के अभाव में वाद काबिल निरस्ती के है।

–जिम्मे प्रतिवादीगण

Signature Not Verified
Digitally signed by Pawan Kumar
Date: 2021.10.11 12:32:38 IST
Reason: SelfAttested

4. अनुतोष

वाद/अभिवचनों के समर्थन में वादी साक्ष्य में पी.डब्ल्यू–1 चरणदास स्वयं के सशपथ बयान लेखबद्ध करवाए एवं दस्तावेजी साक्ष्य में प्रदर्श–1 वसीयत–नामा की प्रमाणित प्रतिलिपि, प्रदर्श–2 एस.आर. कांगडा द्वारा वसीयत को रजिस्टर्ड किए जाने के आदेश की प्रमाणित प्रति, प्रदर्श–3 सरपंच ग्राम पंचायत, लूणियॉ द्वारा फैसल इंतकाल की प्रति, एवं प्रतिवादीगण ने अपने जवाब–दावा/अभिवचनों समर्थन में साक्ष्य प्रतिवादी में डी.डब्ल्यू–1 पुष्पा, डी.डब्लयू–2 चंचलादेवी,

डी.डब्लयू–3 आशा कुमारी, डी.डब्लयू–4 जीयाराम, डी.डब्लयू–4 सुलोचनादेवी के सशपथ बयान लेखबद्ध करवाए।

वादी की ओर से अपने वाद के समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये गये–

1. आर.आर.डी. 1999 पेज नं.–339 परमजीत सिंह बनाम् चम्पारानी वगेरह
'Gair Khatedari land not entilted to tranfer it by way of will by virtue of section 13.'

प्रतिवादीगण की ओर से अपने वाद के समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये गये–

1. 2019(2) आर.आर.टी. 1110 रेशमा व अन्य बनाम पेमा व अन्य
'खातेदार ही वसीयत कर सकेगा। खातेदार के अलावा अन्य अभिसारी वसीयत नहीं कर सकेगा। राजस्व रिकॉर्ड से यह स्पष्ट है कि वसीयत के दिन राजस्व रिकॉर्ड में विवादित आराजीयात गैर खातेदारी में दर्ज थी जिससे जो वसीयत की गई है वह विधिसम्मत नही कही जा सकती है।'
2. 2012 (1) आर.आर.टी. 469 मोहनसिंह बनाम् करतार सिंह व अन्य
'वसीयत निष्पादन के समय भूमि बी की गैर–खातेदारी में थी और यह हस्तांतरित नही हो सकती थी। वसीयत कानूनन शून्य है।'

वकील पक्षकारान की बहस सुनी गई। वादी की ओर से अपने वाद के समर्थन में प्रस्तुत उच्चतर न्यायालयों के न्यायिक दृष्टांतों का ससम्मान अवलोकन किया गया।

तनकीवार न्यायालय का विनिश्चय निम्नानुसार है–

1. आया कि चक 5 जे.एम के मुरब्बा नं.–204/35 का किला नं.–1ता9, 13ता17 एवं 25 कुल 15 बीधा रकबा का वादी खातेदार कृषक घोषित करवाने का अधिकारी हैं।

——जिम्मे वादी

उपर्युक्त साक्ष्य के अनुसरण में वादाधीन भूमि पौंग बांध विस्थापित के रूप में वादी की माता को आवंटित हुई है। माननीय न्यायालय राजस्व मंडल, राजस्थान अजमेर अपने निर्णय दिनांक 31.05.2013 के पृष्ठ संख्या–05 पर निर्देशित किया है कि **'यदि विवादित आराजी गैरखातेदारी की भूमि है तथा गैरखातेदारी भूमि की वसीयत कानूनन रूप से नहीं की जा सकती है। यह एक महत्वपूर्ण कानूनी बिन्दू है जिसका निस्तारण प्रस्तुत साक्ष्य एवं दस्तावेजों के आधार पर होगा।'** राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 39 में स्पष्ट प्रावधान है कि केवल खातेदार काश्तकार ही अपनी कृषि भूमि की वसीयत कर सकता है अर्थात गैरखातेदारी की कृषि भूमि की वसीयत नहीं की जा सकती। वकील वादी की ओर से अपनी बहस के दौरान कथन किया गया कि गैरखातेदारी कृषि भूमि की वसीयत की जा सकती है एवं अपनी दलील के समर्थन में न्यायिक दृष्टांत आर.आर.डी. 1999 पेज 339 परमजीत सिंह बनाम चम्पा रानी एवं अन्य प्रस्तुत किया, जिसका सादर अवलोकन किया गया। माननीय न्यायालय ने अपने निर्णय के अंतिम पैरा में स्पष्टतया अंकित किया है कि 'She had executed one will in favour of the present petitioner which was with respect to Gair Khatedari land and so she was not entitled to transfer it by way of will by virtue of section 13 read with rule 6(4) of the Pong Dam Outtess Allotment Rules 1972 read with section 39 of the Tenancy Act. I feel the order of S.D.O. is not bad and illegal on this count.' उक्त निर्णय में माननीय न्यायालय ने वकील वादी के मत के विपरीत यह भी अभिनिर्धारित किया है कि धारा–13 सपठित नियम 6(4) पौंग बांध विस्थापितों को आवंटन नियम–1972 सपठित धारा 39 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत

Signature Not Verified
Digitally signed by Pawan Kumar
Date: 2021.10.11 12:32:38 IST
Reason: SelfAttested

गैर खातेदारी भूमि को जरिये वसीयत हस्तांतरित नहीं किया जा सकता। हस्तगत वाद में प्रदर्श–4 जमाबंदी दिनांक 30.09.2012 के अवलोकन से स्पष्ट है कि दिनांक–30.09.2012 के रोज प्रश्नगत भूमि गैरखातेदारी भूमि थी एवं प्रश्नगत भूमि की वसीयत दिनांक–15.10.1996 को निष्पादित की गई अर्थात वसीयत के रोज प्रश्नगत भूमि गैरखातेदारी भूमि थी। वादी जरिए गैर खातेदारी कृषि भूमि की वसीयत स्वयं को वादाधीन कृषि भूमि का मालिक घोषित करवाना चाहता है। उपर्युक्त विवेचनानुसार धारा–13 सपठित नियम 6(4) पौंग बांध विस्थापितों को आवंटन नियम–1972 सपठित धारा 39 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत वादी की माता प्रश्नगत भूमि गैर खातेदारी भूमि होने के कारण उक्त भूमि की वसीयत निष्पादित करने के अधिकारी नहीं थी, अतः जरिये वसीयत अधिकार हस्तांतरित किया जाना विधिपूर्ण नहीं कहा जा सकता। फलतः वादी स्वयं को वादाधीन कृषि भूमि का खातेदार कृषक घोषित करवाने का अधिकारी नही है। अतः तनकी सं.–01 का विनिश्चय वादी के विरूद्ध एवं प्रतिवादीगण के पक्ष मे किया जाता है।

2. आया वादी किसी भी तरह कूटरचित व फर्जी वसीयत के आधार पर अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है।

———जिम्मे प्रतिवादीगण

प्रतिवादीगण के द्वारा विवाद्यक सं.–02 को साबित करने के लिए अपने साक्ष्य में डी. डब्ल्यू–1 पुष्पा, डी.डब्लयू–2 चंचलादेवी, डी.डब्लयू–3 आशा कुमारी, डी.डब्लयू–4 जीयाराम, डी. डब्लयू–5 सुलोचनादेवी के बयान करवाये है जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि वसीयत फर्जी व कूटरचित तरीके से तैयार की गई है। प्रतिवादीगण ने प्रदर्श संख्या–2 ए के रूप में न्यायालय उप न्यायाधीश प्रथम श्रेणी, ज्वाली के सिविल मुकदमा संख्या 289/98 में पारित निर्णय दिनांक–04.01.1999 को प्रदर्शित करवाया है, जिसमें न्यायालय ने हस्तगत प्रकरण में प्रदर्शित वसीयत (प्रदर्श–01) दिनांक–15.10.1996 को आरम्भतः शून्य और फर्जी करार देते हुए वादीगण (हस्तगत वाद में प्रतिवादीगण) के हितों पर किसी भी प्रकार से अप्रभावी बताया है। अतः प्रतिवादी गण अपने साक्ष्यों से हस्तगत प्रकरण में प्रदर्शित वसीयत (प्रदर्श–01) दिनांक–15.10.1996 को आरम्भतः शून्य और फर्जी तथा अपने हितों पर किसी भी प्रकार से अप्रभावी साबित करने में सफल रहे है। इस प्रकार विवाद्यक सं.–02 प्रतिवादीगण के पक्ष में एवं वादी के विरूद्ध निर्णित किया जाता है।

3. आया वादीधीन भूमि का इंतकाल ग्राम पंचायत 10 एलएम के द्वारा वादी एवं प्रतिवादीगण के पक्ष में तस्दीक किया गया। अतः आवश्यक पक्षकारों के अभाव में वाद काबिल निरस्ती के है।

———जिम्मे प्रतिवादीगण

चूंकि दोनों विवाद्यक प्रतिवादी के पक्ष में निर्धारित किये जा चुके है विवाद्यक संख्या–03 मात्र औपचारिक है जो एक व दो पर निर्भर है जिसका निर्धारण पूर्व मे किया जा चुका है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तोवजी साक्ष्य से स्पष्ट है कि प्रश्नगत कृषि भूमि गैर–खातेदार थी। गैर–खातेदार जमीन का किसी भी प्रकार से अंतरण नही किया जा सकता। वसीयत के आधार पर किया गया अंतरण शून्य एवं निष्प्रभावी है।

अतः इस तनकी के विनिश्चय का वाद पत्र के गुणावगुण पर कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा। उक्त विवेचनानुसार तनकी संख्या 03 का विनिश्चय पर्यवेक्षानुसार किया जाता है।

चूंकि तनकी संख्या–01 एवं 02 का विनिश्चय प्रतिवादीगण के पक्ष में किया गया है। प्रतिवादी की ओर से अपने वाद के समर्थन में प्रस्तुत उच्चतर न्यायालयों के न्यायिक दृष्टांत हस्तगत प्रकरण में पूर्णतया चस्पा होते हैं। वस्तुतः वादी की ओर से अपने वाद के समर्थन में प्रस्तुत उच्चतर न्यायालय का न्यायिक दृष्टांत भी हस्तगत प्रकरण में पूर्णतया प्रतिवादीगण के पक्ष में चस्पा होता है। धारा–13 सपठित नियम 6(4) पौंग बांध विस्थापितों को आवंटन नियम–1972 सपठित धारा 39 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत वादी की माता प्रश्नगत भूमि गैर खातेदारी भूमि होने के कारण उक्त भूमि की वसीयत निष्पादित करने के अधिकारी नहीं थी, अतः

Signature Not Verified
Digitally signed by Pawan Kumar
Date: 2021.10.11 12:32:38 IST
Reason: SelfAttested

जरिये वसीयत अधिकार हस्तांतरित किया जाना विधिपूर्ण नहीं कहा जा सकता। प्रतिवादीगण अपने साक्ष्यों से हस्तगत प्रकरण में प्रदर्शित वसीयत (प्रदर्श–01) दिनांक–15.10.1996 को आरम्भतः शून्य और फर्जी तथा अपने हितों पर किसी भी प्रकार से अप्रभावी साबित करने में भी सफल रहे है। फलतः वादी स्वयं को वादाधीन कृषि भूमि का खातेदार कृषक घोषित करवाने का अधिकारी नही है। वादी का यह वाद पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत नही होता है।

::आदेश ::

उपरोक्त विवेचन के अनुसार वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र अस्वीकार किया जाता है। डिक्री पर्चा तदनुसार मुर्तिब हो।

निर्णय आज दिनांक 25/08/2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पवन कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Pawan Kumar
Date: 2021.10.11 12:32:38 IST
Reason: SelfAttested